(67)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट–कालीमाटी–सैरा–तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———

तहसील गैरसैण, जिला— चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट–कालीमाटी सैरा–तिवाखर्क परियोजना के निर्माण हेतु (0.070 है0 आरक्षित वन भूमि 1.085 है0 सिविल सोयम भूमि 0.462 है0, वन पंचायत भूमि ——— है0) अर्थात कुल ......है0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालीमाटी द्वारा दिनांक 05/01/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालीमाटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव मुहर सहित	ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .... [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] सिंह बिष्ट अध्यक्ष ग्राम [illegible]	[illegible]
(2)	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट ग्राम [illegible]	[illegible]
(3)	[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
(4)	[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
(5)	[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
(6)	[illegible]	[illegible]
	[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
(8)	[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
(9)	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
(10)	अवतार सिंह	अवतार सिंह
(11)	वीरेन्द्र [illegible]	[illegible]
(12)	दीवान सिंह	दीवान सिंह
(13)	भगवत सिंह	[illegible]

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में मालकोट– कालीमाटी – सेरा – तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण । (लम्बाई 3.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – मालकोट
तहसील–गैरसैंण, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट –कालीमाटी – सेरा –परियोजना के निर्माण हेतु (0.070 हे0 आरक्षित वन भूमि ,1.085 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.472 हे0 वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 1.627 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार , पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रसतुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –मालकोट द्वारा दिनांक 07/2/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– मालकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –

ग्राम सचिव
मुहर सहित

(उमेश चन्द्र सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र – मालकोट
वि.ख. – गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत मालकोट
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ह0 / –

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 07/2/15 को ग्राम सभा के सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....मालकोट.............................

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केदार सिंह S/o श्री आलम सिंह कठैत	[illegible]
2	मेहरबान सिंह S/o बाग सिंह रौथाण	मेहरबान सिंह
3	उम्मेद सिंह नेगी S/o बख्तावर सिंह	[illegible]
4	आनन्द सिंह S/o केदार सिंह	आनन्द सिंह
5	गजेन्द्र सिंह S/o बख्तावर सिंह	गजेन्द्र सिंह
6	मान सिंह कठैत S/o दरवान सिंह कठैत	[illegible]
7	कुवर सिंह नेगी S/o आनन्द सिंह	[illegible]
8-	भरत सिंह S/o बकतावर सिंह	[illegible]
9—	दलीप सिंह S/o पंचम सिंह	[illegible]
10 –	रघुवीर सिंह S/o दिवान सिंह	रघुबीर
11	बलबीर सिंह S/o रतन सिंह	बलबीर

(उमेश चन्द्र सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र - ...मालकोट......
वि.ख. - गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत मालकोट
ह0 [illegible]
दि0 ....
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

प्रारुप–30.2

परियोजना विवरण :– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में मालकोट–कालीमाटी–सेरा से तियाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 है0 का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि0मी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

0.070 उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मालकोट कालीमाटी तियाखरक मोटर मार्ग हेतु (~~[illegible]~~ है0 आरक्षित वन भूमि 0.472 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.085 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.627 है0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 गैरसैंण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैंण) की दिनांक 28-09-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] लाल —उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] ———— सदस्य
3– श्री सुरेन्द्र लाल —सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण — सदस्य/सचिव
4– श्री —————— [illegible] ———— सदस्य
5– श्री [illegible]

[illegible] द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में मालकोट कालीमाटी सेरा तियाखरक मोटर मार्ग ———— परियोजना हेतु 1.627 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ———— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मालकोट कालीमाटी सेरा तियाखरक मो0 मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.627 है0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को उपरोक्त में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— गैरसैंण जिला–चमोली
जनपद ————

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी— चमोली महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद

(63)

<u>प्रारुप—30</u>

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated 15-03-15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(65)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli ..... on dated 13-03-15 at time 11:00 am at Gopeshwar in which application claiming rights in [illegible] area measuring 1.627 hect for the construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalimati-Saira- Tiwakhark sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 13-03-15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe